

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 32/2020 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

- बनाम**
1. श्री नितिन प्रभाकर जोशी पुत्र प्रभाकर भाई जोशी मैसर्स ऐवेन्यु सुपर मार्टस लिमिटेड (डी - मार्ट) अजमेर रोड सुखाडिया सर्किल के पास भीलवाड़ा
 2. श्री अनिल मिश्रा पुत्र लोकपाल मिश्रा मैसर्स ऐवेन्यु सुपर मार्टस लिमिटेड (डी - मार्ट) अजमेर रोड सुखाडिया सर्किल के पास भीलवाड़ा
 3. मैसर्स ऐवेन्यु सुपर मार्टस लिमिटेड (डी - मार्ट) अजमेर रोड सुखाडिया सर्किल के पास भीलवाड़ा
 4. श्री अमरीश कृष्ण मोहता पुत्र गोपाल कृष्ण मोहता निर्माता फर्म मैसर्स शारदा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. मरू नायक चौक गोपाल कृष्ण मोहता होम, बीकानेर सिटी बीकानेर
 5. मैसर्स शारदा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. मरू नायक चौक गोपाल कृष्ण मोहता होम, बीकानेर सिटी बीकानेर

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52


उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 श्री दीपक श्रीमाली अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 से 03 की ओर से

आदेश

दिनांक 05.10.2021

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त


न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (जिला)

शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी मैसर्स ऐवेन्यु सुपर मार्टस लिमिटेड (डी – मार्ट) अजमेर रोड सुखाडिया सर्किल के पास भीलवाडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को अन्य सामग्री के साथ रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) इत्यादि का विक्रय कर रहा था। मैसर्स ऐवेन्यु सुपर मार्टस लिमिटेड (डी – मार्ट) अजमेर रोड सुखाडिया सर्किल के पास भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि खाद्य कारोबारकर्ता की दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य सामग्री के साथ रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) के 1.25–1.25 किलोग्राम के 240 सिल्ड पैकेट रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) रखे हुये थे। मिलावट का शक होने पर वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना विक्रता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मैमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2019 को समय 11.05 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु मैसर्स ऐवेन्यु सुपर मार्टस लिमिटेड (डी – मार्ट) अजमेर रोड सुखाडिया सर्किल के पास भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। विक्रेता इस समय खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से मैसर्स ऐवेन्यु सुपर मार्टस लिमिटेड (डी – मार्ट) अजमेर रोड सुखाडिया सर्किल के पास भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) का विक्रय कर रहा था।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में 1.25–1.25 किलोग्राम के कुल 04 पैकेट रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) के वास्ते जाँच खरीदा एवं इस बाबत रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने खरीदशुदा रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) को चार साफ सुखे खाली चौड़े मुंह की प्लास्टिक की बोतलों में



बराबर-बराबर मात्रा में डालकर, ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./194 /एक्ट/2019/192 दिनांक 25.10.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 12.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष 27.11.2020 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी के अधिवक्ता उपस्थित हैं।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) में Date of Mfg./ Pkg. Sep. 2019 and Best before- 9 Months Print on Product Lable. The sample was collected on 16-10-2019. So Contravention to Regulation No. 2.2.2.10 Of the Food Safety & Standards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 की स्पष्ट उल्लंघना हैं। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का




उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।


विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी ने खाद्य पदार्थ में किसी तरह की कोई गड़बड़ी अथवा मिलावट नहीं की है। विपक्षी पैक माल खरीदता एवं पैक माल ही आम जनता को विक्रय किया जाता हैं। विपक्षी की इसमें कोई गलती नहीं हैं। भविष्य में पूरा ध्यान रखेंगे। निवेदन हैं कि विपक्षी के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस. /194/एक्ट/2019/192 दिनांक 25.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) में Date of Mfg./ Pkg. Sep. 2019 and Best before- 9 Months Print on Product Lable. The sample was collected on 16-10-2019. So Contravention to Regulation No. 2.2.2.10 Of the Food Safty & Standards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 की स्पष्ट उल्लंघना हैं। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 मिसब्राण्डेड रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड रसगुल्ला (मधुर बीकानेरी ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय किया है, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत




न्याय निर्णय अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी
अजमेर प्रयोगशाला
अजमेर


विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 पर 20,000/-रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है, एवं विपक्षी संख्या 04 से लगायत 05 जो कि उक्त खाद्य पदार्थ की निर्माता फर्म हैं, पर 30,000/-रूपये (अक्षरे तीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण उक्त शास्ति राशि जरिये चालान (0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून) निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जमा करा चालान की प्रति इस कार्यालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. श्री नितिन प्रभाकर जोशी पुत्र प्रभाकर भाई जोशी मैसर्स ऐवेन्यु सुपर मार्टस लिमिटेड (डी- मार्ट) अजमेर रोड सुखाडिया सर्किल के पास भीलवाडा उक्त शास्ति राशि जरिये चालान (0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून) द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।
4. श्री अनिल मिश्रा पुत्र लोकपाल मिश्रा मैसर्स ऐवेन्यु सुपर मार्टस लिमिटेड (डी - मार्ट) अजमेर रोड सुखाडिया सर्किल के पास भीलवाडा उक्त शास्ति राशि जरिये चालान (0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून) द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।
5. मैसर्स ऐवेन्यु सुपर मार्टस लिमिटेड (डी - मार्ट) अजमेर रोड सुखाडिया सर्किल के पास भीलवाडा उक्त शास्ति राशि जरिये चालान (0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून) द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।
6. श्री अमरीश कृष्ण मोहता पुत्र गोपाल कृष्ण मोहता निर्माता फर्म मैसर्स शारदा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. मरु नायक चौक गोपाल कृष्ण मोहता होम, बीकानेर सिटी बीकानेर उक्त शास्ति राशि जरिये चालान (0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून) द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।
7. श्री मैसर्स शारदा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. मरु नायक चौक गोपाल कृष्ण मोहता होम, बीकानेर सिटी बीकानेर को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि जरिये चालान (0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून) द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा